तारीख हुक्म	हुक्म या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज
16/03/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उप.। पत्रावली वास्ते विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली वास्ते विभाजन प्रस्ताव पर बहस हेतु पत्रावली आइन्दा दिनांक 23/3/26 को पेश हो।
23/03/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उप.। पत्रावली वास्ते विभाजन प्रस्ताव पर बहस हेतु पत्रावली आइन्दा दिनांक 30/03/26 को पेश हो।
30/03/26	पत्रावली पेश हुई। वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के वकील उप.। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों व तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान के अधिवक्ता ने बहस की। उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वच्छ चित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों व विभाजन प्रस्ताव पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत उचित होने से स्वीकार योग्य है। अत: अंतिम डिक्री व निर्णय अलग [illegible] बनाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। [illegible] शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या [illegible] एक कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:42:51 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद संख्या 45 / 2024

उनवान– उनवान नारणाराम बनाम अमराराम वगैरा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(एसडीओ), सेड़वा

(पीठासीन अधिकारी : श्री बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :–45 / 2024

वाद बाबत् :–राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. नारणाराम पुत्र ठाकराराम जाति भील निवासी बछवाल, हाथला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. अमराराम पुत्र सवाराम 2. गंगा पत्नी भैराराम 3. भाणजी पुत्र सवाराम 4. मेहनलाल पुत्र सवाराम जातियान भील निवासीगण बछवाल, हाथला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 5. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा साता 6. तहसीलदार सेड़वा

अधिवक्ता– वादी वकील –श्री महिपालदान चारण

प्रतिवादी संख्या 02 की वकील– श्री श्रीराम विश्नोई

–:निर्णय :–

दिनांक:– 30/03/2026

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा दिनांक 08.07.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी जिसके संदर्भ में तहसीलदार सेड़वा के पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 1151 दिनांक 07.11.2025 के द्वारा मौजा बछवाल पटवार क्षेत्र हाथला भू.अ.नि. क्षेत्र अरटी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में **खाता संख्या 118 खसरा संख्या 153 रकबा 20–8979 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम** भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के वकील उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों व तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान् के अधिवक्ता ने बहस की। उभयपक्षकारान् अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थ चित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों व विभाजन प्रस्ताव पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत उचित होने से स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार सेडवा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 04.09.2025(कार्यालय तहसीलदार सेड़[illegible]/2025/ 1151 दिनांक 07.11.2025 के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव) को वाद माफिक विभा[illegible] प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर खातेदारान् के सामने अंकित अनुसार भू[illegible] पृथक् से घोषित की जाती है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:42:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर सेड़वा

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

राजस्व वाद संख्या 45/2024

उनवान– उनवान नारणाराम बनाम अमराराम वगैरा

क्र. सं.	नाम खातेदारान	ग्राम	ख. नं.	रकबा (हैक्टे. में)	किस्म	बरंग
1	नारणाराम पुत्र ठाकराराम कौम भील सा. देह खातेदार	बछवाल	153 153	4–5359 2–40	बा. सो.	गुलाबी
			02	6–9359		
2.	गंगा पत्नी भेराराम कौम भील सा. देह खातेदार	बछवाल	153	6–9360	बा. सो.	बैंगनी
3.	अमराराम भाणजी मोहनलाल पि. सवाराम कौम भील सा. देह खातेदार रहन एसबीआई शाखा साता	बछवाल	153	6–9360	बा. सो.	केसरिया
4.	राजस्थान सरकार	बछवाल	153	0–09	गै.मु. रास्ता	

तहसीलदार सेड़वा को तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 04.09.2025(कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांक/भू.अ./2025/1151 दिनांक 07.11.2025 के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/03/2026 को खुले इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी(एसडीओ) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:42:51 IST
Reason: SelfAttested

2

राजस्व वाद संख्या 45/2024

उनवान– उनवान नारणाराम बनाम अमराराम वगैरा

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत व इजलास — सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा मुकाम सेड़वा जिला बाड़मेर श्री बद्रीनारायण, आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. नारणाराम पुत्र ठाकरराम जाति भील निवासी बछवाल, हाथला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. अमराराम पुत्र सवाराम 2. गंगा पत्नी भैराराम 3. भाणजी पुत्र सवाराम 4. मेहनलाल पुत्र सवाराम जातियान भील निवासीगण बछवाल, हाथला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 5. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा साता 6. तहसीलदार सेड़वा

मुकदमा नम्बर : 45/2024

दावा बाबत् : राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act

<u>नारणाराम बनाम अमराराम वगैरा</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री महिपालदान चारण वादी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 01, 03 से 04 के अधिवक्ता श्री आम्बाराम पूनड़ व प्रतिवादी संख्या 02 के अधिवक्ता श्री श्रीराम विश्नोई मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री की जाती है कि तहसीलदार सेड़वा द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 04.09.2025 तैयार कर उनके कार्यालय पत्रांकः भू.अ./2025/1151 दिनांक 07.11.2025 द्वारा प्रस्तुत किया गया। अतः विभाजन प्रस्ताव हेतु अन्तिम डिक्री निम्न प्रकार की जाती है–

क्र. सं.	नाम खातेदारान	ग्राम	ख. नं.	रकबा (हैक्टे. में)	किस्म	बरंग
1	नारणाराम पुत्र ठाकरराम कौम भील सा. देह खातेदार	बछवाल	153 153 02	4–5359 2–40 6–9359	बा. सो.	गुलाबी
2.	गंगा पत्नी भेराराम कौम भील सा. देह खातेदार	बछवाल	153	6–9360	बा. सो.	बैंगनी
3.	अमराराम भाणजी मोहनलाल पि. सवाराम कौम भील सा. देह खातेदार रहन एसबीआई शाखा साता	बछवाल	[illegible]	6–9360	बा. सो.	केसरिया
4.	राजस्थान सरकार	बछवाल	153	0–09	गै.मु. रास्ता	

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:42:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर सेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

(1)

राजस्व वाद संख्या 45 / 2024

उनवान– उनवान नारणाराम बनाम अमराराम वगैरा

तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 04.09.2025 ~~22.12.2025~~ की पालना अनुरूप विभाजन की अन्तिम डिक्री नक्शे में अलग–अलग रंग दर्शाये अनुसार जारी की जाती है। उपर्युक्तानुसार खातेदार के हिस्से की आराजी का नक्शा लट्ठा में तरमीम करने एवं पृथक् पृथक् खातेदारी में दर्ज करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को तहरीर जारी हो। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 30/03/2026 को जारी की गई।

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी(एसडीओ) सेड़वा

सहायक कलेक्टर (SDO) सेड़वा

वाद के खर्चे

मुदई	रूपया	पै.	मुद्दालय	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे।

(2)

सहायक कलक्टर सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:42:51 IST
Reason: SelfAttested